न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : एकता काबरा, आर.ए.एस.

वाद संख्या : 88 / 2022

निर्णय दिनांक : 21/06/2023

1. श्री राधेगोविन्द फार्मस प्रा. लिमि. जरिये निदेशक विजय कृष्ण मोदी पुत्र ओमप्रकाश मोदी, पंजीकृत कार्यालय 72–ए, किरण पथ, सूरज नगर पश्चिम, सिविल लाईन्स, जयपुर।

वादी

बनाम

1. केदार लाल पुत्र रामेश्वर, जाति महाजन, निवासी बी–10, जनता कॉलोनी, बगीची तुलसीदास, तहसील व जिला जयपुर।
2. कृष्ण कुमार पुत्र केदार लाल, जाति महाजन, निवासी बी–10, जनता कॉलोनी, बगीची तुलसीदास, तहसील व जिला जयपुर।
3. गोपाल पुत्र केदार लाल, जाति महाजन, निवासी बी–10, जनता कॉलोनी, बगीची तुलसीदास, तहसील व जिला जयपुर।
4. मैसर्स केदारलाल, कृष्ण कुमार गोयल, कटला पुरोहित जी जयपुर।
5. राधारमण पुत्र रामनारायण गर्ग, जाति महाजन, निवासी बी–53, जनता कॉलोनी, तहसील व जिला जयपुर।
6. रामनारायण पुत्र फूलचन्द (मृतक दौराने वाद नाम हजफ)
7. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत् विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

पत्रावली पेश हुयी। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई। वादी एवं प्रतिवादीगण के अभिभाषक वाद को प्राथमिक डिक्री किये जाने पर सहमत होने पर वादी का प्रतिवादीगण विरूद्ध दिनांक 20.01.2023 को प्राथमिक डिक्री जारी की गयी। तहसीलदार सांगानेर को कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन तीन प्रतियो मे पेश किये जाने का आदेश पारित किया [illegible] तहसीलदार सांगानेर द्वारा पत्र क्रमांक भू0अ0 / डिक्री / 2023 / 2858 [illegible] के संलग्न कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शे तीन प्रतियो मे प्रस्तुत की जो [illegible] मिल मिसल है वकील [illegible] जाना की बहस सुनी जाकर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वाद अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ekta Kabra
Date: 2023.08.25 13:59:48 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादग्रस्त आराजियात कृषि भूमि खाता संख्या 1048 / 952 में भूमि खसरा नम्बर 4387 रकबा 0.65 हैक्टेयर, कुल किता 1 रकबा 0.65 हैक्टेयर वाके ग्राम वाटिका, पटवार हल्का वाटिका, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है का विभाजन मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है –

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज

क्र.स.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म जमीन	लगान	खातेदारो का नाम व पिता का नाम
1	4387	0.65	चाही 2 जाव 2		केदारलाल पुत्र रामेश्वर हिस्सा 2 / 39, जाति महाजन, नि. बी–10, जनता कॉलोनी, बगीची तुलसीदास, जयपुर खातेदार, कृष्णकुमार पुत्र केदारलाल हिस्सा 17 / 78, जाति महाजन, नि. बी–10, जनता कॉलोनी, बगीची तुलसीदास, जयपुर खातेदार, गोपाल पुत्र केदारलाल हिस्सा 5 / 78, जाति महाजन, नि. बी–10, जनता कॉलोनी, बगीची तुलसीदास, जयपुर खातेदार, मै. केदारलाल कृष्णकुमार गोयल, कटला पुरोहितजी हिस्सा 2 / 39 जयपुर खातेदार, राधारमण पुत्र रामनारायण हिस्सा 1 / 13, जाति महाजन, नि. बी–53, जनता कॉलोनी, जयपुर खातेदार, श्री राधेगोविन्द फार्मस प्रा.लि. पंजीयल कार्यालय 5–6, अन्नपूर्णा चेम्बर्स, रोल्वे पोस्ट ऑफिस के सामने, जयपुर जरिये डाइरेक्टर ओमप्रकाश मोदी हिस्सा 7 / 13 खातेदार
	किता–1	0.65			

प्रस्तावित कुर्रेजात इन्द्राज

क्र.स.	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदारो का नाम व पिता का नाम	किस्म
1	4387 में से	0.35	श्री राधेगोविन्द फार्मस प्रा.लि. पंजीयन कार्यालय 72–ए, किरण पथ, सूरज नगर पश्चिम, सिविल लाईन्स, जयपुर जरिये निदेशक विजय कृष्ण मोदी खातेदार	चाही 2 जाव 2
	किता–1	0.35		

Signature Not Verified
Digitally signed by Ekta Kabra
Date: 2023.08.25 13:59:48 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अधिकारी

2	4387 में से	0.30	केदारलाल पुत्र रामेश्वर हिस्सा 334/3000, जाति महाजन, नि. बी–10, जनता कॉलोनी, बगीची तुलसीदास, जयपुर खातेदार, कृष्णकुमार पुत्र केदारलाल हिस्सा 1416/3000, जाति महाजन, नि. बी–10, जनता कॉलोनी, बगीची तुलसीदास, जयपुर खातेदार, गोपाल पुत्र केदारलाल हिस्सा 416/3000, जाति महाजन, नि. बी–10, जनता कॉलोनी, बगीची तुलसीदास, जयपुर खातेदार, मै. केदारलाल कृष्णकुमार गोयल कटला पुरोहितजी हिस्सा 334/3000 जयपुर खातेदार, राधारमण पुत्र रामनारायण हिस्सा 500/3000, जाति महाजन, नि. बी–53, जनता कॉलोनी, जयपुर खातेदार	चाही 2 जाव 2
	किता–1	0.30		

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावें। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21/06/2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एकता काबरा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर)
जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ekta Kabra
Date: 2023.08.25 13:59:48 IST
Reason: SelfAttested